राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 748/2017..... जिलाः जयपुर

मैसर्स विशाल इलेक्ट्रिकल्स, ब्यावर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन,वृत–प्रथम, जयपुर व अपीलीय प्राधिकारी– वाणिज्यिक कर, अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.05.2017	**खण्डपीठ** **श्री के.एल.जैन, सदस्य** **श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य** अपीलार्थी की ओर से श्री वी.के.पारीक, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री जमील जई उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी"कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश क्रमशः दिनांक 01.05.2017, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किया गया है, के विरूद्ध यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी है, जिसमें सहायक आयुक्त,प्रतिकरापवंचन, वृत–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 26, 55, 61 व 75 (8) के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 के लिए पारित कर निर्धारण आदेश 09.02.2017 के द्वारा रू. 77,57,000/–की मांग सृजित की गई है, की वसूली पर रोक लगाने हेतु स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा रोक लगाने से इंकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए रू. 77,57,000/– की वसूली को स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया । उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुने गए, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश का अध्ययन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के द्वारा बताया गया है कि उसकी ओर से सुनवाई स्थगित करने हेतु ऑन लाईन प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया था, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार कर सुनवाई की जो दिनांक निश्चित की गई थी उसके पूर्व ही बिना सुनवाई कर निर्धारण आदेश पारित कर मांग सृजित कर दी गई है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है एवं एकपक्षीय आदेश है। प्रकरण के तथ्यों एवं सुनवाई के समय उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत की गई बहस को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलीय अधिकारी के आदेशान्तर्गत वसूली योग्य राशि रू. 77,57,000/–, के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप	

समुचित जमानत (Adequate Security) पेश करने की शर्त पर अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय तक रोक लगायी जाती है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा । अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण का निस्तारण इस आदेश की प्राप्ति के तीन माह के भीतर करना सुनिश्चित करें।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

04/5/2017

(के.एल.जैन)
सदस्य